

सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़



सबके लिए आवास मिशन(शहरी)–छत्तीसगढ़, अंतर्गत
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”–सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी 2019 मानक हेतु
संचालन प्रक्रिया / मानक मार्गदर्शिका

सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ “मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़

पुरस्कार:-

छत्तीसगढ़ प्रदेश की नोडल एजेंसी राज्य शहरी विकास अभिकरण सबके लिये आवास मिशन (शहरी) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त नगरीय निकायों, राज्य एवं शहर स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी/सीएलटीसी) एवं योजना के हितग्राहियों हेतु आवास योजना अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किये जाने हेतु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता अन्तर्गत मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया गया है। पुरस्कार मुख्य रूप से 03 स्तरों में प्रदान किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. सबके लिये आवास का पुरस्कार – नगर पालिक निगमों और नगर पालिकाएँ
2. लाभार्थी का पुरस्कार
3. तकनीकी समिति पुरस्कार

उद्देश्य :-

आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत कुल 3.00 लाख आवासों का निर्माण राज्य शासन द्वारा 2022 तक किये जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु निकायों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं हितग्राहियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न कर लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रोत्साहित करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। पुरस्कार का विस्तृत उद्देश्य निम्नानुसार है :-

1. सबके लिए आवास योजना अन्तर्गत अद्यतन उपलब्धियों को परिभाषित करना।
2. सबके लिए आवास योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन।
3. नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

पात्रता की शर्तें :-

प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों, क्षेत्रीय कार्यालय, तकनीकी समिति एवं हितग्राहियों को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की पात्रता है। पुरस्कार के निम्न तीन स्तर से संबंधित विवरण नीचे वर्णित है :-

नगरीय निकायों का समूह

नगरीय निकायों को पुरस्कारों के उद्देश्य से तीन समूहों में विभाजित किया गया है।

- समूह I: नगर पालिक निगम
- समूह II: नगर पालिका परिषद्
- समूह III: नगर पंचायत

पुरस्कार का विवरण :-

स.क्र	पुरस्कार की श्रेणी	समूह 1	समूह 2	समूह 3	कुल पुरस्कार
1	उत्कृष्ट निकाय	3	5	10	18
2	उत्कृष्ट प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ (आईईसी)	1	1	1	3
3	उत्कृष्ट क्षेत्रीय कार्यालय		2		2
4	उत्कृष्ट तकनीकी टीम (सीएलटीसी)		15		15
5	उत्कृष्ट तकनीकी टीम (एसएलटीसी)		3		3
6	परियोजना का उत्कृष्ट संमिलन (Convergence)		3		3
7	विशेष श्रेणी पुरस्कार		3		3
8	सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण	3	10	15	30
	योग				77

सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ “मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़

मूल्यांकन पद्धति :-

प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन निम्न तालिका अनुसार किया जावेगा :-

क्र.	मापदण्ड	अंक
(अ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का क्रियान्वयन		
1	मांग के विरुद्ध स्वीकृत आवास	10
2	स्वीकृत आवास के विरुद्ध प्रगतिरत आवास	20
3	स्वीकृति के विरुद्ध पूर्ण आवास	12
4	प्रगतिरत के विरुद्ध लिंटल स्तर पर आवास	4
5	प्रगतिरत के विरुद्ध छत (रूफ) स्तर पर आवास	6
6	स्वीकृत आवास के विरुद्ध एमआईएस अटैचमेंट	5
7	स्वीकृत आवास के विरुद्ध जियो-टैगिंग	5
8	प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी) गतिविधियाँ	8
9	हितग्राहियों का भुगतान	5
	योग	75
(ब) मासिक प्रगति		
1	मांग के विरुद्ध स्वीकृत आवास	3
2	स्वीकृत आवास के विरुद्ध प्रगतिरत आवास	7
3	स्वीकृत आवास के विरुद्ध पूर्ण आवास	5
4	स्वीकृत आवास के विरुद्ध एमआईएस अटैचमेंट	5
5	स्वीकृत आवास के विरुद्ध जियो-टैगिंग	5
	योग	25
	कुल योग	100

- मूल्यांकन 31 मई 2019 तक की मांग(डिमांड) की स्थिर गणना के आधार पर जाएगी।
- मूल्यांकन के लिए 31 मई 2019 तक की स्थिर गणना को मानकर, अ-1 और ब-1 (कुल डिमांड के विरुद्ध स्वीकृत आवास) में नगरीय निकाय 31 दिसंबर 2019 तक अपनी निकाय की प्रगति गणना के आधार पर प्राप्त करेंगे।

अंको की गणना हेतु मापदण्ड:-

मूल्यांकन पद्धति में मौजूद इंडेक्सिंग और प्रगति प्रतिशत का भार 50-50% होगा।

इंडेक्सिंग निम्नानुसार होगी
• उच्चतम प्रगतिरत/अनुमोदन 50 प्रतिशत
• उच्चतम पूर्णता/अनुमोदन 30 प्रतिशत
• उच्चतम जियोटैग/अनुमोदन 20 प्रतिशत

- **संकेतक-‘अ’** के आधार पर मूल्यांकन के लिए, योजना के प्रारंभ से प्रगति, यानी 25 जून 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जावेगा।
- **संकेतक-‘ब’** पर आधारित मूल्यांकन के लिए, 1 जून 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक की प्रगति के आंकड़ों का विश्लेषण किया जावेगा, जिसका आधार मिशन की मासिक प्रगति प्रतिवेदन (ऑनलाइन एमपीआर) में अंकित प्रगति के अनुसार किया जावेगा। प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध मापदण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ “मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़

क्रियान्वयन :-

अंकों की गणना निम्नानुसार मापदण्डों के अनुरूप की जावेगी :-

निकायो की मार्किंग

(अ) प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का क्रियान्वयन					
1	मांग के विरुद्ध स्वीकृत आवास का प्रतिशत*				10
श्रेणी-सीमा	25 से कम	26 से 50	51 से 75	75 से उपर	
अंक	0	2	5	10	
2	स्वीकृत आवास के विरुद्ध प्रगतिरत आवास का प्रतिशत**				20
श्रेणी-सीमा	25 से कम	26 से 50	51 से 80	80 से उपर	
अंक	0	7	15	20	
3	स्वीकृति के विरुद्ध पूर्ण आवास का प्रतिशत**				12
श्रेणी-सीमा	10 से कम	11 से 30	30 से 50	50 से उपर	
अंक	0	4	8	12	
4	प्रगतिरत के विरुद्ध लिंटल स्तर पर आवास का प्रतिशत				4
श्रेणी-सीमा	10 से कम	11 से 20	21 से 30	30 से उपर	
अंक	0	1	2	4	
5	कुल प्रगतिरत के विरुद्ध छत (रूफ) स्तर पर आवास का प्रतिशत				6
श्रेणी-सीमा	10 से कम	11 से 20	21 से 30	30 से उपर	
अंक	0	1	3	5	
6	स्वीकृत आवास के विरुद्ध एमआईएस अटैचमेंट का प्रतिशत**				5
श्रेणी-सीमा	50 से कम	50 से 75	75 से 90	90 से उपर	
अंक	0	1	3	5	
7	स्वीकृति के विरुद्ध जियो- टैगिंग का प्रतिशत**				5
श्रेणी-सीमा	50 से कम	50 से 75	75 से 90	90 से उपर	
अंक	0	1	3	5	
8	प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी) गतिविधियाँ				8
	हितग्राही की सफलता की कर्होनियो की शार्ट विडियो फिल्मस् 40 से 45 सेंकड़ की (न्यूनतम 25 विडियो प्रतिमाह)	3			
	निकाय का सक्रिय फेसबुक अकाउंट	0.5			
	निकाय सक्रिय ट्यूटर एकाउंट	0.5			
	निकाय यूट्यूब एकाउंट	1			
	होर्डिंग एवं बैनर	0.5			
	विवरणिका/पत्रक/पैम्पलेट/न्यूजलेटर	0.5			
	शिकायत निवारण पत्रक	1			
	स्ट्रीट प्ले (नुक्कड़ नाटक)	1			
9	हितग्राहियों को भुगतान				5
श्रेणी-सीमा	7 दिवस से अधिक	6 से 7 दिवस	4 से 5 दिवस	3 दिवस या उससे कम	
अंक	0	1	3	5	
योग					75

प्रत्येक नगरीय निकाय को पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 वीडियो निकाय के यू ट्यूब अकाउंट पर अपलोड करना होगा। वीडियो के अपलोड/महीने की संख्या के आधार पर पर्याप्त आनुपातिक गणना के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र: ऑनलाइन शिकायत निवारण/हेल्पलाइन/टोल फ्री नंबर की उपस्थिति और PMAY(U) के लिए अलग-अलग हेल्प डेस्क में प्रत्येक में 0.5 अंक होंगे। पर दोनों मोड क्रियात्मक सक्रिय होना चाहिए।

बेस डेट पोस्ट जिसे पुरस्कार के लिए प्रगति माना जाएगा 31 मई 2019 है।

* कुल मांग में केवल BLC घटक गिना जायेगा।

** स्वीकृत आवास संख्या 31 मई 2019 तक स्वीकृत आवास के अनुरूप होगी।

**सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़**

ब. मासिक प्रगति :-

नगरीय निकायों में मिशन अंतर्गत कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन पूर्व-परिभाषित मापदंडों के अनुरूप की जावेगी। प्रगति का मूल्यांकन प्रत्येक माह की प्रगति के अनुसार आगामी 07 माह की कार्यवाधि (1 जून 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक) की समय-सीमा में मासिक प्रगति के आधार पर किया जावेगा। मासिक प्रगति के आधार पर निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा :-

(ब) मासिक प्रगति की प्रगतिशीलता/बढोतरी					
1	मांग के विरुद्ध स्वीकृत आवास का प्रतिशत				3
श्रेणी-सीमा	0 से 5	6 से 10	11 से 15	15 से अधिक	
अंक	1	2	3	5	
2	स्वीकृत आवास के विरुद्ध प्रगतिरत आवास का प्रतिशत**				7
श्रेणी-सीमा	0 से 5	6 से 10	11 से 15	15 से अधिक	
अंक	1	2	3	7	
3	स्वीकृति के विरुद्ध पूर्ण आवास का प्रतिशत**				5
श्रेणी-सीमा	0 से 5	6 से 10	11 से 15	15 से अधिक	
अंक	1	2	3	5	
4	स्वीकृत आवास के विरुद्ध एमआईएस अटैचमेंट का प्रतिशत**				5
श्रेणी-सीमा	0 से 5	6 से 10	11 से 15	15 से अधिक	
अंक	1	2	3	5	
5	स्वीकृति के विरुद्ध जियो- टैगिंग का प्रतिशत**				5
श्रेणी-सीमा	0 से 5	6 से 10	11 से 15	15 से अधिक	
अंक	1	2	3	5	
	योग				25

	बेस डेट पोस्ट जिसे पुरस्कार के लिए प्रगति माना जाएगा 31 मई 2019 है।
**	स्वीकृत आवास संख्या 31 मई 2019 तक स्वीकृत आवास के अनुसार होगी।
	प्रत्येक माह के लिए वृद्धिशील प्रगति की गणना की जाएगी और सभी के औसत को अंतिम स्कोर माना जाएगा।

**सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़**

योजना अन्तर्गत गठित तकनीकी समिति (एसएलटीसी एवं सीएलटीसी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्न तालिका में दर्शित अनुसार बिन्दुओं के माध्यम से किया जावेगा :-

राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (एसएलटीसी)		
स.क्र.	मापदण्ड	अंक
(अ) प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का क्रियान्वयन		
1	संभाग हेतु दिए गये इंडेक्सिंग की संरचना के अनुसार संभाग को प्राप्त अंक	20
2	संभाग हेतु दिए गये अंकीय (स्कोर) संरचना के अनुसार संभाग को प्राप्त अंक	10
	योग	30
(ब) व्यक्तिगत प्रदर्शन/श्रेष्ठता अंक(स्कोरिंग)		
1	प्रस्तुतिकरण	20
2	उत्कृष्ट कार्य एवं किये गए प्रयासों की जानकारी	10
3	आंतरिक समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा	30
4	कार्यों का क्रियान्वयन/निष्पादन	10
	सब योग	70
	कुल योग	100

नगर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (सीएलटीसी)		
स.क्र.	मापदण्ड	अंक
(अ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का क्रियान्वयन		
1	निकाय हेतु दिए गये इंडेक्सिंग की संरचना के अनुसार निकायों को प्राप्त अंक	25
2	निकाय हेतु दिए गये अंकीय (स्कोर) संरचना के अनुसार निकायों को प्राप्त अंक	20
	योग	45
(ब) व्यक्तिगत प्रदर्शन/श्रेष्ठता अंक(स्कोरिंग)		
1	निष्ठा प्रतिवेदन	10
2	प्रस्तुतिकरण (व्यक्तिगत/सामुहिक)	20
3	कार्य का क्रियान्वयन/निष्पादन	25
	योग	55
	कुल योग	100

**सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़**

एस.एल.टी.सी के विशेषज्ञों के लिए विस्तृत गणना का आंकलन इस प्रकार होगा :-

राज्य स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (एलएलटीसी)			
ब	व्यक्तिगत मूल्यांकन हेतु मापदण्ड		
1	प्रस्तुतिकरण (व्यक्तिगत/समूह)		20
	संभाग की नगरीय निकाया में स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी का संकलन कर उनका प्रस्तुतिकरण, बेहतर क्रियान्वयन हेतु अपनाए गए नवीन तरीके, उत्कृष्ट कार्य की जानकारी (यदि कोई हो), कठिनाईयों और उनके संभावित समाधान (यदि कोई हो), सक्सेस स्टोरी (यदि कोई हो), 100 प्रतिशत स्लम फ्री सिटी की रूपरेखा।		
2	उत्कृष्ट कार्य एवं किये गए प्रयासों की जानकारी		10
	संभाग द्वारा प्राप्त किये गए नए आयामों एवं उत्कृष्ट कार्यों के साथ-साथ उनका दस्तावेजीकरण/प्रतिवेदन तैयार करना। प्रतिवेदन में दिये गए जानकारी के अनुसार अंकों का निर्धारण किया जावेगा।		
3	आंतरिक समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा		30
अ	एसएलटीसी विशेषज्ञों की प्रगति की समीक्षा सूझा नामांकित अधिकारियों द्वारा एवं उनकी दैनिक कार्यशैली, संभाग में समन्वय, संभाग अन्तर्गत कार्यशील सीएलटीसी के प्रदर्शन एवं व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक समीक्षा की जावेगी।		
4	कार्यों का क्रियान्वयन/निष्पादन		10
	संभाग में कार्यरत सीएलटीसी/एसएलटीसी सदस्यों द्वारा अंक प्रदान किया जाएगा।	5	
	उत्कृष्ट कार्य	5	
	संतोषजनक कार्य	3	
	असंतोषजनक कार्य	1	
	प्रत्येक संभाग में 05 सीएलटीसी/एसएलटीसी सदस्यों के नाम जिनका कार्य उत्कृष्ट रहा है। स्वयं की ओर से दिया गया व्यक्तिगत नाम शामिल नहीं होगा। निम्न प्राकर से 05 शीर्ष नामों को पुरस्कृत किया जावेगा।	5	
	प्रथम स्थान	5	
	द्वितीय स्थान	4	
	तृतीय स्थान	3	
	चतुर्थ स्थान	2	
	पंचम स्थान	1	
	शेष	0	
कुल गणना के अंक			70

सी.एल.टी.सी के विशेषज्ञों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्न तालिका में दर्शित अनुसार किया जावेगा :-

नगर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ (सीएलटीसी)			
(ब)	व्यक्तिगत प्रदर्शन हेतु मापदण्ड		
1	निष्ठा रिपोर्ट		10
अ- बी	ड्रेस कोड	3	
	90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत में उपस्थिति	3	
	89 प्रतिशत से 80 प्रतिशत में उपस्थिति	1	
	80 प्रतिशत से कम उपस्थिति	0	
ब	गैर अनुमोदित अपवाद प्रतिमाह	5	
	0	5	
	2 तक	3	
	2 से उपर	0	
स	अवकाश हेतु आवेदन	2	

**सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़**

	निष्ठा के माध्यम से 100 प्रतिशत अवकाश आवेदन	2	
	निष्ठा के माध्यम से 100 प्रतिशत अवकाश आवेदन प्राप्त नहीं	0	
2	प्रस्तुतिकरण (व्यक्तिगत/समूह)		20
अ	चयन हेतु प्रस्तुतिकरण (व्यक्तिगत/समूह)	5	
	नगरीय निकायो / डिजीजन की जानकारी स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी संकलित कर प्रगति का प्रस्तुतिकरण, अभिनव पहल (यदि कोई हो), कठिनाईयाँ और उनके संभावित समाधान (यदि कोई हो), सक्सेस स्टोरी (यदि कोई हो), 100 प्रतिशत स्लम फ्री सिटी की रूपरेखा।		
ब	अंतिम प्रस्तुतिकरण (व्यक्तिगत/टीम)	15	
	नगरीय निकायो / डिजीजन की जानकारी स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी अद्यतन स्थिति को संकलित कर प्रगति की प्रस्तुति, अभिनव कदम (यदि कोई हो), कठिनाईयाँ और उनके संभावित समाधान (यदि कोई हो), सक्सेस स्टोरी (यदि कोई हो), 100 प्रतिशत स्लम फ्री सिटी की रूपरेखा।		
3	कार्य निष्पादन		25
अ	संभाग में कार्यरत सीएलटीसी/एसएलटीसी सदस्यों द्वारा अंक प्रदान किया जाएगा।	5	
	उत्कृष्ट कार्य	5	
	संतोषजनक कार्य	3	
	असंतोषजनक कार्य	1	
ब	प्रत्येक संभाग में 05 सीएलटीसी/एसएलटीसी सदस्यों के नाम जिनका कार्य उत्कृष्ट रहा है। स्वयं की ओर से दिया गया व्यक्तिगत नाम शामिल नहीं होगा। निम्न प्राकर से 05 शीर्ष नामों को पुरस्कृत किया जावेगा।	5	
	प्रथम स्थान	5	
	द्वितीय स्थान	4	
	तृतीय स्थान	3	
	चतुर्थ स्थान	2	
	पंचम स्थान	1	
स	सिविल कार्य हेतु		
	15 दिवस के भीतर किये गये फाउंडेशन स्तर से लिंटल स्तर तक के आवासो के जियोटेग का प्रतिशत	5	
	10 प्रतिशत से कम	0	
	10-15 प्रतिशत	1	
	16-20 प्रतिशत	3	
	20 प्रतिशत से अधिक	5	
	30 दिवस के भीतर किये गये लिंटल स्तर से छत स्तर तक के आवासो के जियोटेग का प्रतिशत	5	
	10 प्रतिशत से कम	0	
	10-15 प्रतिशत	1	
	16-20 प्रतिशत	3	
	20 प्रतिशत से अधिक	5	
	45 दिवस के भीतर किये गये छत स्तर से पूर्ण आवास तक के जियोटेग का प्रतिशत	5	
	05 प्रतिशत से कम	0	
	06-10 प्रतिशत	1	
	10-15 प्रतिशत	3	
	15 प्रतिशत से अधिक	5	
स	एमआईएस कार्य हेतु		
	स्वीकृति के विरुद्ध जियोटेग किये गये आवासो का प्रतिशत (निकाय/संभाग के अनुसार आवंटित)	5	
	80 प्रतिशत से कम	0	
	80-85 प्रतिशत	1	
	86-90 प्रतिशत	3	
	90 प्रतिशत से अधिक	5	
	स्वीकृति के विरुद्ध पूर्ण एमआईएस अटेंचमेंट का प्रतिशत (निकाय/संभाग के अनुसार आवंटित)	5	
	80 प्रतिशत से कम	0	

**सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ
“मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़**

	80-85 प्रतिशत	1	
	86-90 प्रतिशत	3	
	90 प्रतिशत से अधिक	5	
	कुल तकनीकी त्रुटि/समस्याओं/मुद्दों की पहचान एवं उनका निराकरण/समाधान (अंको का निर्धारण सूडा के एमआईएस विशेषज्ञों द्वारा दिया जावेगा)	5	
	01 या 01 से कम	0	
	2 से 03	1	
	4 से 05	3	
	05 से अधिक	5	
	कुल योग		55
स	समाजिक विकास विशेषज्ञों के लिए	5	
	प्रति माह निकाय के वार्डों में हितग्राहियों के लिए आयोजित किए कैंप/निकाय स्तर आयोजित की गई कार्यशालाओं की संख्या।		
	0 से 02	0	
	03 से 05	1	
	6 से 10	3	
	10 से अधिक	5	
	प्रति माह व्यक्तिगत परिवारों/हितग्राहियों से की गई चर्चा/बैठकों की संख्या।		
	100 से कम	0	
	101 से 150	1	
	151 से 200	3	
	200 से अधिक	5	
	प्रतिमाह आपके द्वारा तैयार की गई एवं सूडा को जमा की हितग्राहियों की सफलता की कहॉनिया/जागरूकता गतिविधियों/अन्य उल्लेखनीय कार्यों के प्रतिवेदन/संक्षेपिका/डाक्यूमेंट्री की संख्या के साथ नियमित रूप से हितग्राहियों के पूर्ण आवासों के/जागरूकता गतिविधियों के फोटोग्राफ ट्वीटर, फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करना।		
	05 से कम	0	
	06 से 10	1	
	11 से 15	3	
	15 से अधिक	5	
	कुल योग		55

जीआईएस के लिए, एमआईएस की रूपरेखा का पालन किया जाएगा।

सर्वश्रेष्ठ सूचना-शिक्षा-संचार (आई.ई.सी) के लिए मूल्यांकन मापदण्ड :-

सर्वश्रेष्ठ सूचना-शिक्षा-संचार (आई.ई.सी) गतिविधियों के तहत चयनित होने के लिए, नगरीय निकायों को एक मजबूत सूचना-शिक्षा-संचार (आई.ई.सी) तंत्र की आवश्यकता होगी। सबके लिये आवास मिशन के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए लिए नगरीय निकायों को प्रचार-प्रसार संचार (IEC-Mode) के माध्यमों जैसे: (हितग्राहियों के लिए कैंप/बैठके/ऑनलाइन/टेलीफोनिक/प्रिंट आदि) का उपयोग करना होगा, और कि गई गतिविधियों के अधिकतम फोटा/वीडियो, यू ट्यूब, ट्वीटर, फेसबुक इत्यादि पर पोस्ट करने होंगे। इसी आकलन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ सूचना-शिक्षा-संचार (आई.ई.सी) निकाय माना जाएगा। इस संबंध में सूडा का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

सर्वश्रेष्ठ संभागीय कार्यालय (न.प्र.वि.वि.) के लिए मूल्यांकन मापदण्ड :-

सर्वश्रेष्ठ संभागीय कार्यालय (न.प्र.वि.वि.) के तहत चयनित होने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक (जेडी) एवं कर्मचारियों द्वारा योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु नियमित रूप से योजना की समीक्षा कर प्रगति बढ़ाये जाने हेतु प्रयास किया जाना है। साथ ही योजना अंतर्गत आ रही कठिनाईयों का निराकरण कर लक्ष्य

सबके लिये आवास मिशन (शहरी) अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ “मोर प्रदर्शन मोर सम्मान”, छत्तीसगढ़

प्राप्ति किये जाने हेतु संबंधित निकायों में योजना का क्रियान्वयन कराया जाना है। इस संबंध में सूडा का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा।

सर्वश्रेष्ठ अभिसरण परियोजना के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ अधिक से अधिक केंद्र/राज्य सरकार के अन्य योजनाओं का भी लाभ भी योजना के हितग्राहियों को प्रदान किया जाना है। निकाय स्तर पर ऐसी परियोजना जिसमें आवास योजना के साथ-साथ अन्य लाभकारी योजनाओं से मिशन के हितग्राहियों लाभान्वित करवाया गया हो तो जिससे हितग्राहियों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव देखने को मिला हो उसका विस्तृत विवरण तैयार कर संक्षेपिका के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक निकाय इस श्रेणी में अधिकतम दो नामांकन प्रस्तुत कर सकती है,

विशेष श्रेणी पुरस्कार के मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :-

योजना के क्रियान्वयन के दौरान, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) अन्तर्गत आंतरिक समीक्षा और मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया निर्धारित होगी, जिसके माध्यम से इस योजना में विशेष प्रयत्न कर योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास करने वाले निकाय/अधिकारी/क्रियान्वयन दल आदि का पुरस्कार हेतु चयन किया जावेगा।

सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण :-

सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण के पुरस्कार के लिए प्रत्येक नगरीय निकायों को, अपने निकाय अंतर्गत BLC घटक अंतर्गत पूर्ण आवासों में 05 सबसे अच्छे निर्माण किए गए आवासों की तस्वीरें सूडा को भेजने की आवश्यकता होगी। इन सर्वश्रेष्ठ घरों के चयन हेतु पारदर्शिता तंत्र के आधार पर सूडा की पुरस्कार चयन कमेटी समस्त नगर पालिक निगमों में 05, नगर पालिका परिषदों में 10, और नगर पंचायतों में 15 सर्वश्रेष्ठ घरों को पुरस्कृत करने के लिए चुनेगी।

समयसीमा :-

स.क्र	गतिविधि	समयसीमा
1	नगरीय निकायों को पत्र एवं मानक मार्गदर्शिका जारी करना	10 th Jun 2019
2	सूडा में प्रविष्टी/नामांकन जमा कराना	31 st Dec 2019
3	मूल्यांकन	15 th Jan 2020
4	पुरस्कार वितरण कार्यक्रम	TBD

डिस्क्लेमर:-

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) अपने विवेक पर, पुरस्कार की प्रक्रिया के लिए संकेतक एवं महत्व (Weightage) की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, यदि आवश्यक हो, तो इसके कारण का विस्तार किए बिना।